आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
1/2/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील सं0 55/2012** **राम बिनोद सिंह बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1915 दिनांक 14/6/2012 के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 2/6/2012 को अपीलकर्त्ता की जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान की जाँच अनुमंडल स्तरीय जाँच दल द्वारा की गयी। जाँच के क्रम में दुकान के चरिचालन के संबंध में कई अनियमितताएँ पायी गई और उसके बाद कारणपृच्छा करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। अपना पक्ष रखते हुए अपीलकर्त्ता ने स्पष्ट किया कि प्रश्नगत आदेश में समर्पित स्पष्टीकरण का परीक्षण भी नहीं किया गया है और इसलिए यह विधि–मान्य नहीं हो सकता है। प्रतिवादी राज्य का पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक ने प्रश्नगत आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि जाँच दल द्वारा पाई गई अनियमितताओं के आलोक में अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह पारित किया गया है और इसलिए इसके साथ हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों को सुना और मूल अभिलेख का अवलोकन किया। जाँच के क्रम में पायी गई मुख्य अनियमितताएँ ये थीं कि भंडार में अवशिष्ट किरासन तेल की मात्रा भंडार पंजी की प्रविष्टि से अलग पायी गयी और कई सम्बद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर और निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में बिना कैश मेमो दिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्त्ति करने के आरोप लगाए गए हैं। जाँच प्रतिवेदन में किरासन तेल के मामले में अवशिष्ट भंडार और अभिलेख प्रविष्टि के बीच पाया गया अंतर लगभग 23 लिटर है। अन्य आरोप के आलोक में मात्र चार उपभोक्ताओं के बयान संलग्न किए गए है। दूसरी ओर अपीलकर्त्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में लगाए गऐ साक्ष्यों	

के अनुसार वितरण पंजी में कम मात्रा में खाद्यान्न देने या निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की वसूली करने का कोई साक्ष्य नहीं है। किरासन तेल की वितरण पंजी में मार्च से मई महीने तक 291 उपभोक्ताओं के प्राप्ति हस्ताक्षर, अन्त्योदय में 12 उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर और बी0पी0एल0 के कुल 290 उपभोक्ताओं के प्राप्ति हस्ताक्षर संलग्न है। अपीलकर्त्ता ने स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि जाँच दल के द्वारा जो किरासन तेल भंडार में विसंगति पाई गई थी, वह बहुत थोड़ी मात्रा में है और कतिपय प्रविष्टियों के संधारण के बाद यह विसंगति पूरी तरह दूर हो जाती है। उन्होंने कहा कि भंडार पंजी में छः कूपनधारियों को जाँच तिथि को दी गयी किरासन तेल की मात्रा छूट जाने के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि कैश मेमो नहीं देने या अन्य प्रकार के आरोप पूर्णतः निराधार हैं और 3-4 उपभोक्ताओं के बयान मात्र से उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है।

यह स्पष्ट है कि निरीक्षण तिथि को जन वितरण प्रणाली दुकान खुली पाई गई थी। यह भी स्पष्ट है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत आदेश में अपीलकर्त्ता द्वारा दिए गए साक्ष्यों का परीक्षण नहीं किया गया है और सिर्फ यह मान लिया गया है कि अपीलकर्त्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण उनके आरोपों को खंडित नहीं करता है। स्थापित विधि के अनुसार लगाए गए आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए थी और अपीलकर्त्ता द्वारा दिए गए साक्ष्यों का भी निष्पक्ष विवेचन और परीक्षण होना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया है। स्पष्टतः प्रश्नगत आदेश विधि-सम्मत् नहीं है और इसे निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ________ /विधि, दिनांक ________

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को अपने पत्रांक 3477 दिनांक 18-10-2012 द्वारा अभिलेख संख्या 117/12 सं० 15-96/12 के साथ प्राप्त हुआ था को मूल में आदेश की प्रति के साथ संलग्न सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक - अभिलेख संख्या - 117/2012
प्रेषण सं० - 15-96/12

प्रदीप उपसमाहर्त्ता,
जिला विधि शाखा
सारण छपरा।

ज्ञापांक 302 /विधि, दिनांक 9.2.2013

प्रतिलिपि - एन०आई०सी० पदाधिकारी छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रदीप उपसमाहर्त्ता,
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
07/02/13